अध्याय – 13
भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन
(Indian Constitution and Public Administration)

भारतीय संविधान नें भारतीय प्रशासन तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसनें भारतीय प्रशासन तंत्र के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं आदर्शो का निर्धारण किया है, नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान किये हैं। उसकी संरचना, स्वरूप, प्रक्रियाओं तथा मानकों को निर्धारित करने में मदद की है। उसके चरित्र का निर्धारण किया है तथा साथ ही उसे नियंत्रित करने तथा उसे सक्षम, तटस्थ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए व्यापक उपबन्ध किये हैं। संविधान में प्रशासन तंत्र की दिशा एवं दशा को सुनिश्चित करने तथा उसे स्थिर बनाने के लिये प्रावधान किये गये हैं जिससे कि वह सतत रूप से एक सुदृढ ढांचे के रूप में कार्य कर सके । प्रशासन पर संविधान के प्रभाव को हम निम्न बिन्दुओं में समझ सकते हैं :

1. प्रशासन के लक्ष्यों का निर्धारण :

संविधान की प्रस्तावना प्रशासन के लिये लक्ष्य एवं आदर्शों का निर्धारण करती है। संविधान की प्रस्तावना में दर्शाये गये लक्ष्य जैसे : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, उन्हें समानता प्रदान करना तथा देश में एक लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना मूलतः प्रशासन का ही लक्ष्य है।

2. प्रशासन का नीति निर्धारण में मार्गदर्शन :

संविधान का भाग'–4 राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों से सम्बन्धित है। जहाँ एक ओर संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि प्रशासन किन लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा, वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व यह बताते है कि इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासन तंत्र द्वारा बनाई जाने वाली नीति को निर्धारित करने वाले ये तत्त्व उसे मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं, जैसेः स्त्री एवं पुरूष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराकर अथवा महिला एवं पुरूष कार्मिक को समान कार्य के लिए समान वेतन के नीति निर्देशक तत्व अपनाकर **आर्थिक न्याय** की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार बेकारी, बुढापा और निशक्तता की दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करने के उपबन्ध, बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता इत्यादि के नीति निर्देशक तत्त्व **सामाजिक न्याय** को सुनिश्चित करते है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की स्थापना का नीति निर्देशक तत्त्व प्रशासन को लोकतंत्र की ग्राम स्तर तक स्थापना के लिये निर्देशित करता है एवं **राजनीतिक न्याय** के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देता है।

3. लोक सेवाओं का संघीय स्वरूप :

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संधीय प्रणाली अपनाई गई है संध एवं राज्य स्तरों पर पृथक – पृथक सरकारों का अस्तित्व है। दोनों के मध्य संविधान की अनुसूची सात के अनुसार शक्तियों का विभाजन किया गया है तथ दोनों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट किया गया है। इसी राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप संविधान द्वारा लोक सेवाओं को भी संघीय स्वरूप प्रदान किया गया है तथा संघ एवं राज्य की पृथक– पृथक लोक सेवाऐं स्थापित की गई है। संघीय सेवाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी संघ सरकार के अधीन कार्य करते है जैसे डाक–तार मंत्रालय अथवा रेलवे मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी । राज्यो की अपनी पृथक सेवाएं हैं तथा उनके अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी।

4. अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान :

यद्यपि भारत में सेवाओं के संघीय स्वरूप को अपनाया गया है किन्तु इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भी किया गया हैं। अखिल भारतीय सेवाऐं, वे सेवाऐं हैं जो संघ एवं राज्य दोनों के मध्य साझी (Common) होती है। वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाऐं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) , भारतीय पुलिस सेवा (IPS) तथा भारतीय वन सेवा (IFS) । इन तीनों सेवाओं के अधिकारी केन्द्र एवं राज्य के मध्य समान रूप से कार्य करते है।

इन अधिकारियों की भर्ती सेवा शर्तों का निर्धारण ,अनुशासनात्मक कार्यवाही संघ सरकार द्वारा की जाती है तथा सरकार में इनकी नियुक्ति, स्थानान्तरण इत्यादि राज्य सरकार के पास होती है अतः इन पर दोनो का नियंत्रण बना रहता है। अखिल भारतीय स्तर द्वारा चयनित होकर आए ये अधिकारी राष्ट्र की प्रशासनिक एकता को सुनिश्चित करते हैं।

5. प्रशासन का संसदीय व्यवस्था के अनुरूप होना :

भारतीय संविधान द्वारा भारत संघ एवं राज्य दोनों स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था के रूप में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। सरकार की कार्यपालिका शाखा को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक औपचारिक अथवा नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पद आते हैं तथा दूसरा वास्तविक कार्यपालिका जिसमें संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं उसकी

मंत्री परिषद सम्मलित होती है । इस प्रणाली में शासन की शक्तियाँ वास्तविक कार्य पालिका में निहित होती है तथा शासन का औपचारिक प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका (राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल) होते है। इसी प्रणाली के अनुरूप प्रशासन तंत्र को भी निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी आौपचारिक रूप से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधीन होते है । उनकी नियुक्ति, पदमुक्ति इत्यादि इन्हीं के द्वारा की जाती है किन्तु उन पर वास्तविक नियंत्रण संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग के मंत्री का होता है। संबंधित मंत्री ही उनके नियुक्ति , स्थानान्तरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि मामलों को देखते हैं। राष्ट्रपति / राज्यपाल केवल उन्हें स्वीकृति प्रदान करने माध्यम है।

6. योग्यतानुसार भर्ती : भारत में योग्यता के अनुसार भर्ती की व्यवस्था ब्रिटिशकाल से चली आ रहीं है। तथा भारतीय संविधान में भी राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता उपलब्ध कराते हुए योग्य व्यक्तियों में आने के लिये प्रावधान किये गए हैं। जहाँ एक ओर अनुच्छेद 16 का मूल अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उपबन्ध करता है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 315 से 323 में संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इन आयोगों का कार्य है कि बिना किसी भाई भतीजा वाद एवं राजनीतिक दबाव के स्वतन्त्र रूप में राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिये परीक्षाओं का आयोजन करें तथा योग्यतम व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में लायें। इन आयोगों की स्वयं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये संविधान में व्यापक प्रावधान किये गये हैं तथा इन आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि को सुनिश्चित किया गया है। उससे पूर्व उन्हें हटाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया गया है कि उन्हें हटाया जाना आसान नहीं है। उनके वेतन, सेवा शर्तो इत्यादि में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके अन्य कोई लाभकारी पद लेने पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाये गये है। उक्त समस्त व्यवस्था शासकीय सेवाओं में योग्य अभ्यर्थियों की स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करती है।

7. आरक्षण प्रावधान : भारतीय संविधान ने यद्यपि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का मूल अधिकार प्रदान किया है किन्तु साथ ही साथ सामाजिक न्याय की दृष्टि से तथा राजकीय सेवाओं में सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व बनाये रखने की दृष्टि से उक्त मूल अधिकार के ही अन्तर्गत अनुच्छेद 16 (4) में यह प्रावधान भी किया है कि यदि राज्य को यह लगता है कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब वह उस वर्ग के नागरिकों के लिये पदों एवं नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। उक्त उपबन्ध के अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग, दिव्यांग तथा अन्य श्रेणीयों के नागरिकों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसमें भारत की लोक सेवाओं के संगठनिक स्वरूप पर व्यापक प्रभाव डाला है तथा उन्हें प्रतिनिध्यात्मक बनाने में मदद की है।

8. विधि का शासन :

भारत में भी ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुरूप डायसी की विधि के शासन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों तथा सामान्य नागरिकों की विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित की जाती है अर्थात् प्रशासनिक अधिकारियों के लिये कोई पृथक से प्रशासकीय कानून अथवा प्रशासकीय न्यायालय नहीं होते हैं तथा वे अपने समस्त कृत्यों के लिये देश की सामान्य विधि के अधीन रहते हुए सामान्य न्यायालय के प्रति जवाबदेय होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें वहीं संरक्षण उपलब्ध होते हैं जो कि सामान्य नागरिकों को उपलब्ध होते हैं। विधि का प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि का उल्लंघन करता है चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो उसे समान रूप से दण्डित किया जायेगा अर्थात् यह कानून की सर्वोच्चता स्थापित करता है, विधि के शासन की अवधारणा प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामान्य नागरिकों को समान विधिक आधारों पर रखकर कार्यवाही करने का तथा संरक्षण उपलब्ध कराने का मूल आधार है । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इस सम्बन्ध में प्रावधान करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है और उसे विधि का समान संरक्षण उपलब्ध कराता है।

9. प्रशासनिक संस्थाओं का संवैधानिक अस्तित्व :

भारतीय प्रशासन की अनेक प्रशासनिक संस्थाओं का स्वयं संविधान में उल्लेख है । संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायविद, अनुच्छेद 315 से 323 में संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग , अनुच्छेद 323 (क) एवं (ख) में प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग इत्यादि के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है। इन संस्थानों को संवैधानिक निकाय **(Constitutional Body)** कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी संस्थाऐं भी है जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है किन्तु जिन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थापिका द्वारा किसी अधिनियम के माध्यम से गठित किया जाता है इन संस्थाओं को संवैधानिकेत्तर वैधानिक निकाय **(Extra Constitutional Statutory Body)** का दर्जा दिया जाता है । जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि।

10. लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान :

संविधान का भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है इसी के अनुच्छेद 309 में प्रावधान किया गया है कि संघ एवं राज्यों के विधान मण्डल समुचित अधिनियम के माध्यम से अपने कार्यकलापों से सम्बन्धित पदों के लिए भर्ती का तथा सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का नियमन (Regulation) कर सकते है। जिसकी निरन्तरताओं में संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनी लोक सेवाओं के संबंध में विस्तृत कानून बनाये गये हैं।

11. लोक सेवकों का संवैधानिक संरक्षण :

भारतीय संविधान में लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है जिससे कि वे स्वतंत्रता एवं तटस्थता के साथ अपना कार्य कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 310 के प्रावधान किया गया है कि संघ की सिविल सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेंगें। तथा राज्य की सेवा के सदस्य उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेंगें। जिसे प्रसाद का सिद्धान्त (Doctorine of Pleasure) भी कहते है किन्तु अनुच्छेद 310 के अधिकार आत्यंतिक (Absolte) नहीं है। तथा अनुच्छेद 311 तथा मूल अधिकारों के अधीन है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124) , उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद–324) , नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148(2)) तथा लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य (अनुच्छेद 317) का कार्यकाल राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पर आधारित नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है :

1. किसी भी व्यक्ति को जो कि संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उसे उसकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी से अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा पद से नहीं हटाया जाएगा तथा

2 किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके विरूद्व कार्यवाही से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा अर्थात उसे आरोपों की सूचना दी जाएगी। उन आरोपों की जाँच की जाएगी। संबंधित व्यक्तियो का इन आरोपों के संबंध मे बचाव का अवसर दिया जाएगा तथा साक्ष्य आधार पर जाँच में दोषी पाये जाने पर ही उसके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।

वस्तुत अनुच्छेद 311 के प्रावधान किसी भी शासकीय सदस्य को अपने पद के दायित्वो के निर्वहन के लिए व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करते है। उक्त प्रावधानो के कारण किसी भी सदस्य के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अत्यन्त कठिन एंव लम्बी प्रकिया बन जाती है तथा उचित आधारों पर ही उसके विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार के संरक्षण के कारण लोक सेवक पूर्ण स्वतंत्रता एवं बगैर किसी दबाव के अपने कार्य सम्पादित कर पाते हैं।

12. लोकसेवकों की सेवा शर्तों का निर्धारण :

भारतीय संविधान लोकसेवकों के सेवा संबंधी कानूनो का आधार है तथा इन्ही सेवा कानूनों के अनुसरण मे रहते हुए राष्टपति द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) (Central Civil Service (Conduct) Rules) बनाये गये है। लोक सेवकों को इन्हीं आचरण नियमों के तहत रहते हुए अपने कर्त्तव्यों का पालन करना होता है। आचरण नियम उनके सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार तथा उनके राजनीतिक अधिकारों को नियन्त्रित करते है। इसी अनुरूप केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियम (Central Civil Service (Classification,Control and Appeal) Rules) लोकसेवाओ के वर्गीकरण के साथ-साथ उनके विरूद्व जाँच की प्रकिया तथा आरोपित की जाने वाली शास्तियो (दण्ड प्रावधानों) के बारे मे बतलाते हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओ तथा राज्य सेवाओ के संबंध मे भी नियम बनाये गये है।

13. प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals) की व्यवस्था :

42वे संविधान संशोधन, 1976 द्वारा भारतीय संविधान मे अनुच्छेद, 323(अ) तथा अनुच्छेद 323(ब)जोडे गये है। अनुच्छेद 323(अ)के तहत संसद को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संघ और राज्यों की लोकसेवाओ के अधिकारियो की भर्ती तथा उसकी सेवाओ मे नियुक्त व्यक्तियो की सेवा शर्तो से संबंधित विवादो और परिवादो के निस्तारण के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करे । इसी प्रकार अनुच्छेद 323(ब) के तहत संघ की संसद तथा राज्यो के विधान मण्डलो को कर संबंधी मामलों, आयात - निर्यात, औघोगिक एंव श्रम विभाग, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण तथा संसद एंव राज्यों के विधान मण्डलो के निर्वाचन के संबंध मे अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

संसद द्वारा इन प्रावधानों के अनुरूप प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1995 पारित किया गया तथा दिनांक 1. 11.1985 को केन्द्रीय प्रशासकीय अधिकरण (Central Administrative Tribunal)का गठन किया गया।प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 4(2) के तहत यह प्रावधान किया गया कि संघ सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे विशिष्ट मांग किये जाने पर उसके लिए भी राज्य प्रशासकीय अधिकरण (State Administrative Tribunal) का गठन कर सकती है। इसी के अनुरूप आध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उडीसा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, उतर प्रदेश इत्यादि राज्यों मे राज्य प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना की गई है।

14. प्रशासन पर नियंत्रण :

भारतीय सविधान मे प्रशासन तंत्र की निरंकुशता, भाई भतीजावाद, वित्तीय भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमताओं को नियंत्रण करने के लिए उस पर नियंत्रण के प्रावधान किये गये हैं। नागरिक को इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के अर्न्तगत मूल अधिकार के रूप मे संवैधानिक उपचारो का अधिकार प्रदान किया गया है । जिसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायलय प्रशासन के विरूद्व बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी इसी प्रकार की रिटे जारी करते है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 123 एंव 213 के तहत जारी कार्यपालिका के व्यवस्थापन (अध्यादेश) की भी न्यायालय समीक्षा कर सकते हैं। न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत कार्यपालिका के किसी भी कृत्य की समीक्षा कर सकती है।

न्यायिक नियन्त्रण के अतिरिक्त व्यवस्थापिका भी विभिन्न प्रश्नों, बहस, वाद विवाद एवं अपनी समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियन्त्रण रखती है। संसद की लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति समस्त व्यय संबन्धी मामलों को देखती है इसके अतिरिक्त प्रशासन पर सम्बन्धित विभागीय मंत्री का आन्तरिक नियन्त्रण भी होता है। उक्त सभी के लिए संविधान में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

1. भारतीय संविधान लोक प्रशासन के संगठन, लक्ष्य एवं मानकों का निर्धारण करता है तथा उसकी नीति को निर्देशित करता है।
2. प्रशासन तंत्र संघीय व्यवस्था के अनुरूप है तथा संघ एवं राज्य की अलग–अलग लोक सेवाऐं है।
3. प्रशासन के संघीय स्वरूप के अतिरिक्त एकात्मक स्वरूप की अखिल भारतीय सेवाओं का भी संविधान में प्रावधान है। जो संघ एवं राज्यों के मध्य साझी (Common) होता है।
4. प्रशासन देश की संसदीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है। वह औपचारिक रूप से नाम मात्र की कार्यपालिका (राष्ट्रपति/राज्यपाल) के अधीन होते हैं लेकिन व्यवहार में वास्तविक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री तथा मंत्रीपरिषद्) के नियन्त्रण में कार्य करता है।
5. भारतीय संविधान सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है तथा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के अनुसार भर्ती सुनिश्चित करता है।

तथापि संविधान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व अन्य श्रेणी के नागरिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

6. सरकारी सेवाओं में स्वतन्त्र भर्ती हेतु संविधान में संघ एवं राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है।
7. लोक प्रशासन विधि के शासन के तहत कार्य करता है।
8. अनेक प्रशासनिक संस्थाऐं ऐसी है जिनका संविधान में उल्लेख है। उन्हें संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) कहते है। जबकि कुछ अन्य संस्थाऐं संविधान के अधीन रहते हुए विधायिका द्वारा बनाई गई है जिन्हें संवैधानिकेत्तर वैधानिक निकाय (Extra Constitutional Statutory Body) कहते है।
9. संविधान के अनुच्छेद 309, 310, 311 में लोक सेवा तथा लोक सेवकों सम्बन्धी प्रावधान है। यह उनकी सेवा शर्तो का निर्धारण करते है तथा उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते है।
10. प्रशासन पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न :

1. निम्न मे से कौनसी अखिल भारतीय सेवा नही है ?
(अ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (ब) भारतीय पुलिस सेवा
(स) भारतीय वन सेवा (द) भारतीय विदेश सेवा

2. संविधान के किस अनुच्छेद मे लोक नियोजन मे अवसर की समानता का प्रवाधान किया गया है ?
(अ) अनुच्छेद 16 (ब) अनुच्छेद 18
(स) अनुच्छेद 17 (द) अनुच्छेद 21

3. संघ लोक सेवा आयोग एंव राज्यों के लोक सेवा आयोगों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद मे किया गया है ?
(अ) अनुच्छेद 323 (अ) एंव (ब)
(ब) अनुच्छेद 324
(स) अनुच्छेद 309–311
(द) अनुच्छेद 315–323

4. प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया ?
(अ) 42वाँ संविधान संशोधन
(ब) 48वाँ संविधान संशोधन
(स) 44वाँ संविधान संशोधन
(द) 52वाँ संविधान संशोधन

5. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायलय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया है ?
(अ) अनुच्छेद 16(4) (ब) अनुच्छेद 226
(स) अनुच्छेद 32 (द) अनुच्छेद 325

6. लोकसेवको को संवैधानिक संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है ?
(अ) अनुच्छेद 311 (ब) अनुच्छेद 280
(स) अनुच्छेद 323 (द) अनुच्छेद 325

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. प्रशासन के लक्ष्यों का उल्लेख संविधान मे कहाँ किया गया है?
2. संविधान की किस अनुसूची मे शक्तियो का विभाजन किया गया है ?
3. चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद मे किया गया है ?
4. विधि के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है ?
5. लोक नियोजन मे आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है ?
6. नियंत्रण एंव महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद मे किया गया है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :

1. कोई दो नीति निर्देशक तत्त्व बताईये।
2. प्रशासन के उद्देश्य (लक्ष्य) क्या है ?
3. वर्तमान मे कौन–कौनसी अखिल भारतीय सेवाऐं है ?
4. संसदीय प्रणाली का प्रमुख लक्षण क्या है ?
5. किन्ही चार संवैधानिक निकायो के नाम तथा संबंधित अनुच्छेद बताईये
6. प्रसाद का सिद्वान्त क्या है ?

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. लोकसेवाओ की स्थापना तथा लोकसेवाओ के संरक्षण नियमन एंव नियंत्रण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानो को बतलाईये ।
2. भारतीय संविधान प्रशासन तंत्र के संगठन लक्ष्य एंव स्वरूप का निर्धारण करता है , उक्त कथन का विवेचन कीजिए ।

उतरमाला :

1. (द)	**2. (अ)**	**3. (द)**
4. (अ)	**5. (स)**	**6. (अ)**